सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 15, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 07, 2022
Asvina 15, Friday , Saka 1944- October 07, 2022

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, सितम्बर 19, 2022

संख्या एफ 1/ RTU/ **यू**नियन **बहाली/2022/ पार्ट-1/25708** :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/रिर्टन/आरटीयू/2000-2005/निरस्तीकरण/2004/19174 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्व) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 1605 पर अंकित श्रम संघ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे निरस्तीकरण से पूर्व जारी किया गया कारण बताओ (शॉ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ चूंकि संगठन जयपुर उद्योग लि. साहू नगर, सवाई माधोपुर के कार्मिकों के हितार्थ वर्ष 21.05.2005 को बना था। संस्थान वर्ष 1987 में रूगण इकाई घोषित होकर बाद में बंद हो गया। जो वर्तमान में भी बंद है। इस प्रकार संस्थान में काम करने वाले समस्त कार्मिक बेरोजगार हो गये। प्रबंधन द्वारा संस्थान के बंद हो जाने पर कार्मिकों को उनके बकाया वेतन भत्ते एवं ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नही किया गया ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने सदस्यों से कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया। कार्मिकों के बकाया वेतन भत्ते आदि का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल याचिका संख्या 392/2015 लंबित है। जिसमें उनका संगठन क्रम संख्या 01 पर पक्षकार है। संगठन अपने श्रमिकों के हितार्थ लगातार क्रियाशील है। समय-समय पर आम सभा बैठके आयोजित कर रहा है तथा उच्च अधिकारियों को भी पत्र व्यवहार कर रहा है। संघ के पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण नियत वर्षो 2005 की रिर्टन प्रस्तुत नही कर पाए भविष्य में रिर्टन समय पर प्रस्तुत करेंगे इसमें उनके द्वारा कोई कोताई नहीं बरती जाएगी। संघ के अध्यक्ष द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि संगठन के गत चुनाव दिनांक 05.09.2022 को सम्पन्न हुए थे । कार्यकारिणी तथा संघ की चल-अचल संपति को लेकर कोई विवाद नहीं है।

श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा अवलोकन किया गया तथा दिनांक 13.09.2022 को सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ट हूं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे

प्रकरण को मध्यनजर रख संघ को वर्ष 2005 से 2017 तक के आय व्यय ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करने की छूट प्रदान कर मैं पी.पी. शर्मा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/रिर्टन/आरटीयू/2000-2005/निरस्तीकरण/2004/19174 दिनांक 09.07.2010 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघ का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या एवं दिनांक	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	भारतीय सीमेन्ट मजदूर संघ, सी 14 साहू नगर, सवाई माधोपुर	केटी/एआरटीयू/05/2005 दिनांक 21.05.2005	1605

पी.पी.शर्मा,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन,
एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.),
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।